

फर्द अहकाम
(नियम 28)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु. नं. 67 सन 2019
हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

तारीख हुकम

13.02.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाये।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का भेलु ने खाता दुरुस्ती बायत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संभवत् 2073-76 की प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक खीन्दासर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशाषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भेलु तहसील कोलायत 4 जिला बीकानेर की जमाबन्दी संभवत् 2073-76 में खाता संख्या 420 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	भेलु	420	रोहताश पुत्र सुन्दरलाल जाति चमार(हरिजन) सा. मकान न 2 ब्लोक न. 2 जाण्डवाला बागड तह. व जिला फतेहबाद (हरियाणा) 5.87 हैक्टर, रामचन्द्र पुत्र मेघाराम हि 3.92 हैक्टर, मांगीलाल वल्द उम्मेदा 0.18 हैक्टर, हेमाराम वल्द मगलाराम 1.77 हैक्टर शेष खाता बदस्तुर जमाबन्दी	रोहताश पुत्र सुन्दरलाल जाति चमार(हरिजन) सा. मकान न 2 ब्लोक न. 2 जाण्डवाला बागड तह. व जिला फतेहबाद (हरियाणा) 1/6 हिस्सा, रामचन्द्र पुत्र मेघाराम हि 392/3524 हिस्सा, मांगीलाल वल्द उम्मेदा 18/3524 हिस्सा, हेमाराम वल्द मगलाराम 532/10572 हैक्टर शेष खाता बदस्तुर जमाबन्दी

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

22/3/19
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत